पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये नए नियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार ने** राज्य के [पुलिस महानिदेशक (DGP)]() **की नियुक्ति के लिये नए नियम** बनाए हैं।

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश में DGP नियुक्ति के नए नियम इस प्रकार हैं:**
  - यूपी कैबिनेट ने **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 को मंज़ूरी दे दी।**
  - **DGP का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल पर विचार करते हुए** एक समिति द्वारा किया जाएगा।
  - केवल वे अधिकारी ही इस पद के लिये **पात्र हैं जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा शेष हो।**
  - **नियुक्त DGP न्यूनतम दो वर्ष तक** पद पर रहेंगे।
  - चयन समिति में एक सेवानिवृत्त [उच्च न्यायालय]() के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, [संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)]() के प्रतिनिधि और अन्य शामिल हैं।
- **मौजूदा प्रथा:**
  - राज्य सरकार को वर्तमान DGP की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले **UPSC को पात्र वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भेजनी होगी।**
  - UPSC सूची की समीक्षा करता है और अंतिम नियुक्ति के लिये **तीन उम्मीदवारों की एक सूची** राज्य को भेजता है।
  - रिक्ति सृजन की तिथि से **छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल (सेवानिवृत्ति से पहले)** वाले अधिकारी ही DGP के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। एक बार नियुक्त होने के पश्चात, DGP का **न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा।**
- **नये नियमों का कारण:**
  - अस्थायी DGP की **नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस** के जवाब में ये नियम पेश किए गए थे ।
  - याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अस्थायी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से बचाना है।
  - यद्यपि 17 राज्यों ने अपने-अपने पुलिस अधिनियम बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अब तक ऐसा नहीं किया था।

//

Police Reforms in India

CONSTITUTIONAL STATUS

- Police and Public Order: State subjects (7th Schedule)

NEED FOR REFORM

- Colonial Law
- Custodial Death
- Lack of Accountability
- Political Interference
- Poor Gender Sensitivity
- Communal/Caste Bias
- No Anti-Torture Law

RELATED DATA

- Police-People Ratio: 153 police/100,000 people (Global benchmark: 222 police /100,000 people)
- Custodial Deaths: 175 in 2021-2022 (as per MHA)
- Women's Share: 10.5% of entire force (India Justice Report 2021)
- Infrastructure: 1 in 3 police stations is equipped with CCTV (India Justice Report 2021)

IMPORTANT COMMITTEES/COMMISSION

- 1977–81: National Police Commission
- 1998: Ribeiro Committee
- 2000: Padmanabhalah Committee
- 2002–03: Malimath Committee
- 2005: Police Act Drafting Committee
- 2006: Supreme Court Directions in Pakash Singh vs Unionof India
- 2007: Second Administrative Reforms Commission
- 2012-13: Justice J.S. Verma committee
- 2015: Police Act Drafting Committee II

RELATED INITIATIVES

- SMART Policing (pan-India)
- Automated Multimodal Biometric Identification System (AMBIS) (Maharashtra)
- Real Time Visitor Monitoring System (uses AI and blockchain) (Andhra Pradesh)
- CyberDome (Tech R&D Centre) (Kerala)

CHALLENGES WITH POLICING

- Low Police-Population Ratio
- Political Superimposition
- Unsatisfactory Police-Public Relations
- Infra Deficit
- Corruption
- Understaffed/Overburdened

WAY FORWARD

- ↑Police Budget, Resources
- ↑Recruitment Process
- Implement Measures to Reduce Corruption
- ↑Skills of Policemen
- Better Representation (Women, Minorities)

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-rules-for-appointing-police-chief